न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज गिरीश कुमार बनाम राज. सरकार मु.नं. 61/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मैंजारी हुए
	तहसीलदार मण्डावर से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रा.पत्र धारा 136 LR Act 1956 पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act 1956 दिनांक 14.8.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
14.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2024	09.01.2024	14.08.2025

बउनवान

गिरीश कुमार पुत्र मोहन लाल, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत हिस्सा दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि मुतदाविया खेवट खतौनी सं. नई 4, पुरानी 3 के खसरा सं. 183 रकबा 0.20 हैक्टे., 184 रकबा 0.20 हैक्टे., 185 रकबा 0.19 हैक्टे., 186 रकबा 0.06 हैक्टे., 187/751 रकबा 0.63 हैक्टे., 188/752 रकबा 0.09 हैक्टे., 189/753 रकबा 0.23 हैक्टे., कुल किता 7, कुल रकबा 1.60 हैक्टे. ग्राम सरावली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। भूमि मुतदाविया को प्रार्थी एवं अशोक कुमार पुत्र कजोडी लाल, जाति महाज़न, निवासी मण्डावर, जिला दौसा ने जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2010 को भूमि के खातेदारान कजोडी रामफूल पुत्रान भम्बू, जाति गुर्जर, निवासी भूडा, तहसील रैणी, जिला अलवर से उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण का दोनों ने 1/4–1/4 हिस्से को खरीद किया था। भूमि मुतदाविया में से भूमि के अन्य सहखातेदार विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति महाजन, निवासी मण्डावर, जिला दौसा से प्रार्थी एवं अशोक कुमार पुत्र कजोडी लाल, जाति महाजन, निवासी मण्डावर, जिला दौसा ने जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2019 को खातेदार विनोद कुमार के 1/10 हिस्से को खरीद किया था। भूमि मुतदाविया में से भूमि के अन्य सहखातेदार मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम महाजन, निवासी मण्डावर, जिला दौसा से उसके हिस्से 1/5 में से 1/2 हिस्से की भूमि को प्रार्थी एवं अशोक कुमार पुत्र कजोडी लाल, जाति महाजन, निवासी मण्डावर, जिला दौसा ने जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2020 को खरीद किया था। उपरोक्त भूमि मुतदाविया को प्रार्थी एवं अशोक कुमार ने वराबर–वराबर हिस्से में खरीद किया था लेकिन राजस्व अधिकारियों के द्वारा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का हिस्सा 3/10 दर्ज कर दिया तथा अशोक का हिस्सा 2/5 दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि उक्त भूमि मुतदाविया में प्रार्थी एवं अशोक कमार का दोनों का हिस्सा 7/20, 7/20 होना था। उक्त गलती राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सहवन से की गई है जो लिपिकीय भूल है। भूमि मुतदाविया में दर्ज हुये गलत हिस्से को लेकर भूमि के खातेदारान में आपस में विवाद होने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की सम्भावना पैदा हो गयी है तथा प्रार्थी राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि भी अपने हिस्से के अनुसार प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिसके लिये भूमि मुतदाविया में प्रार्थी एवं अशोक कुमार दोनो का हिस्सा 7/20, 7/20 दर्ज होना आवश्यक है जिसकी दुरुस्ती प्रार्थी न्यायालय से करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने दिनांक 02.01.2024 को उक्त गलत दर्ज हुये हिस्से को दुरूस्त करने के लिये अप्रार्थी के यहां पर प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी ने कहा कि हमे दुरूस्ती के अधिकार नहीं है और अप्रार्थी ने न्यायालय से आदेश लेकर आने के लिये कहा। इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर भूमि मुतदाविया में राजस्व अधिकारियों के द्वारा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का हिस्सा 3/10 तथा अशोक का हिस्सा 2/5 दर्ज कर दिया जो कि गलत है, को हजफ किया जाकर दुरुस्ती करते हुये भूमि मुतदाविया में प्रार्थी एवं अशोक कुमार दोनो का हिस्सा 7/20, 7/20 दर्ज फरमाया जावे, इस अमर की दुरूस्ती प्रार्थी न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पन्जीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए।

3. अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में बिन्दुवार जवाब दिनांक 13.06.2025 को प्रस्तुत किया कि वर्तमान में ग्राम सरावली के खाता सं. 4 के खसरा सं. 183, 184, 185, 186, 187/751, 188/752, 189/753, किता 7, रकबा 1.60 हैक्टे. अखिलेश पुत्र प्रभुदयाल हि. 1/5, अशोक कुमार पुत्र कजोडीलाल हि. 2/5, गिरीशकुमार पुत्र मोहनलाल हि. 3/10, नवीन कुमार मोदी पुत्र मदनलाल मोदी हि. 1/10, जाति महाजन नि. मंडावर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। परिवादी गिरीश कुमार एवं सह खातेदार अशोक कुमार पुत्र कजोडी लाल अखिलेश पुत्र प्रभुदयाल विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण एवं मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम ने जरिये विक्रय पत्र उक्त आराजी दिनांक 24.06.2010 को कजोडी रामफूल पिता भम्बू जाति गुजर नि. भूदा से कय किया था जिसका नामा. सं. 234 दिनांक 03.02.2011 द्वारा सही अमल हो गया था। उपरोक्त सह खातेदार विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 1/10 सम्पूर्ण हि. अशोककुमार पुत्र कजोडीलाल गिरीश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति महाजन को जरिये विक्रय पत्र लिखावट दिनांक 13.12.2019 व दिनांक 19.12.2019 द्वारा हिस्सा बराबर विक्रय पत्र रजिस्टर्ड किया गया। विक्रयपत्र का नामान्तरकरण सं. 492 दिनांक 06.10.2021 स्वीकार हुआ जिसमें दर्ज करते समय विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/10 को अशोककुमार पुत्र कजोडीलाल गिरीशकुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा बराबर का नामान्तरकरण दर्ज करने के बजाय विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 1/10 सम्पूर्ण हिस्सा अशोककुमार पुत्र कजोडीलाल के नाम दर्ज कर दिया गया था जिससे गिरीशकुमार पुत्र मोहनलाल का हिस्सा दर्ज करने से छूट गया था। बिंदु संख्या 2 में वर्णित सहखातेदार मुकेशकुमार पुत्र राधेश्याम हि. 1/5 ने अपने हि. 1/5 भाग का 1/2 भाग अशोककुमार पुत्र कजोडीलाल गिरीशकुमार पुत्र मोहनलाल हि. बराबर दिनांक 27.05.2020 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय किया था जिसका नामांतरकरण सं. 497 दिनांक 18.11.2021 द्वारा स्वीकृत होकर सही अमल हुआ है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद जमाबन्दी में वर्णित खसरा सं. 183, 184, 185, 186,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

187/751, 188/752, 189/753 में अशोककुमार पुत्र कजोडीलाल हि. 2/5 के बजाय 7/20, गिरीश कुमार पुत्र मोहनलाल हि. 3/10 के बजाय 7/20 एवं शेष खातेदार बदस्तूर किया जाना उचित है।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार का जवाब दिनांक 13.06.2025, तथा अन्य दस्तावेजों यथा – विक्रय विलेख दिनांक 24.06.2010, विक्रय विलेख दिनांक 13.12.2019 एवं विक्रय विलेख दिनांक 27.05.2020 की प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

5. विक्रय विलेख दिनांक 13.12.2019 तथा तहसीलदार मण्डावर के जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में विक्रय पत्र लिखावट दिनांक 13.12.2019 व दिनांक 19.12.2019 नामान्तरकरण सं. 492 दिनांक 06.10.2021 स्वीकार हुआ जिसमें दर्ज करते समय विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/10 को अशोककुमार पुत्र कजोडीलाल गिरीशकुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा बराबर का नामान्तरकरण दर्ज करने के बजाय विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 1/10 सम्पूर्ण हिस्सा अशोककुमार पुत्र कजोडीलाल के नाम दर्ज कर दिया गया था जिससे गिरीशकुमार पुत्र मोहनलाल का हिस्सा दर्ज करने से छूट गया था। तहसीलदार मण्डावर के द्वारा उक्तानुसार प्रार्थी गिरीशकुमार तथा सहखातेदार अशोककुमार का हिस्सा दुरुस्त किया जाकर क्रमशः 7/20, 7/20 दर्ज जमाबन्दी किया जाना उचित बताया गया है। अतः उक्त त्रुटि को सही किया जाकर प्रार्थी का विवादित आराजीयात की जमाबन्दी में हिस्सा दुरुस्त किया जाकर 7/20 तथा सह खातेदार अशोककुमार का हिस्सा दुरुस्त किया जाकर 7/20 किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सरावली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित आराजीयात खसरा सं. 183, 184, 185, 186, 187/751, 188/752, 189/753 में प्रार्थी गिरीशकुमार पुत्र मोहन लाल का जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज हिस्सा 3/10 को दुरुस्त किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जाकर हिस्सा 7/20 दर्ज करने के तथा सहखातेदार अशोककुमार पुत्र कजोडीलाल के दर्ज हिस्सा 2/5 को दुरुस्त किया जाकर 7/20 दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठियां कराने के अधिकारी होंगें। तहसीलदार मण्डावर को उक्त आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 14.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)